मंगली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत नेडीनाडी
2024/238
निर्णय दिनांकः—16.05.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

अपील संख्याः—2024/238 दर्ज तिथिः—31.12.2025

1. मंगली पुत्री करनाराम पत्नी धुड़ाराम
2. भीखी पुत्री करनाराम पत्नी भाखराराम
   जाति विश्नोई निवासी नेडीनाडी, पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना
   जिला बाडमेर ....अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत नेडीनाडी
2. धापु पुत्री करनाराम पत्नी रूपाराम
   जाति विश्नोई निवासी सांवा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
3. वाधू पुत्री करनाराम पत्नी किसनाराम
   जाति विश्नोई निवासी रोहिला पश्चिम तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
4. फुभी देवी उर्फ फूमल पुत्री करनाराम पत्नी देराम फौत के कायम मुकाम
   4/1 खेताराम पुत्र देराम
   4/2 राजूराम पुत्र देराम
   जाति विश्नोई निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
   ....असल प्रत्यर्थी

5. तहसीलदार धोरीमन्ना ....तकमीली प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः—श्री हापूराम
प्रत्यर्थीः— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—75
राज.भू—राजस्वअधिनियम—1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:49 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—16.05.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतःविवरणइस प्रकार से हैः—

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

- कि हाल आराजी खसरा 564/448/2.4282 है0 मौजा शिव मंदिर पटवार हल्का नेडीनाडी ग्राम पंचायत नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है।
- कि उक्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के माता श्रीमती गवरी पत्नी करनाराम के नाम से आयी हुई थी। गवरी देवी का स्वर्गवास होने से अपीलान्ट अपनी माता के नाम की भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु गवरी के विधिक वारीसों की सूची हल्का पटवारी नेडीनाडी को दी । जिस पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 293 दिनांक 06.03.2024 दायर किया जिसमें उतरदाता संख्या 4 फूभी उर्फ फूमल का स्वर्गवास होने से नामान्तकरण उनके वारिशों के नाम भरना था जबकि हल्का पटवारी ने सीधे ही गवरी के वारिश फूमल का नाम दायर कर जांच हेतु ग्राम पंचायत नेडीनाडी को भिजवा दिया।
- ग्राम पंचायत नेडीनाडी ने उक्त नामान्तकरण को दिनांक 20.03.2024 को मिच मैच बताकर खारिज कर दिया ।
- कि अपीलाधीन नामान्तकरण को सरपंच द्वारा रंजिशवंश विधि विरूद्व निरस्त करना अवैधानिक होने से अपीलान्ट व उतरदातागण के नाम नामान्तकरण पारित किया जाने का निवेदन किया।
- कि दिनांक 20.03.2024 को कोई भी ग्राम संभा पंचायत नेडीनाडी में नहीं थी न ही सरपंच उस दिन ग्राम पंचायत में थी। सरपंच द्वारा घर बैठे—बैठे नामान्तकरण को निरस्त किया जो अवैधानिक है।
- कि हिन्दु उतराधिकार अधिनिमय के अनुसार गवरी के प्रथम श्रेणी के वारिशों के नाम नामान्तकरण पारित किया जाता है तथा प्रथम श्रेणी के वारिश पहले से ही फौत हो तो धारा 8 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार उसके विधिक वारीसों का नाम उसके हिस्से में दर्ज किया जाता है।
- कि हल्का पटवारी द्वारा गवरी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिशों के नाम दर्ज कर दिये लेकिन फूभी उर्फ फूमल पहले से ही फौत होने से उनके प्रथम श्रेणी वारीसों के नाम उसके आगे दर्ज करना था यानि नामान्तकरण में वारिस संख्या 02 का नाम अंकित करने के बाद आगे फौत होने से उसके वारिशों का नाम अंकित करना था जो कि ग्राम पंचायत अपने ग्राम सभा में पारित आदेश से अंकित कर उक्त नामान्तकरण को विधिसमत पारित किया जा सकता था।
- कि अपीलान्टगण अनपढ महिला होने से इस आलौच्य आदेश की जानकारी नहीं हो सकी आज से यानि अपील दायर से तीन दिन पूर्व अपीलान्ट द्वारा ऑनलाईन जम... नाम नहीं आने से अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी से पूछताछ ... विवादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का नाम नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई तब अपीलान्ट द्वारा उकत आराजी की ... 21.12.2024 को नकल प्राप्त कर आलौच्य आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर अन्दर म्याद अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:49 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

- विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 293 की नकल दिनांक 21.12.2024 को प्राप्त हुई तो अपीलान्ट को सर्वप्रथम आलोच्य नामान्तकरण की जानकारी प्राप्त हुई जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील श्रीमानजी के समक्ष माननीय न्यायालय में पेश की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी विधिवत तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। मैनें अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। गवरी के फौत होने पर अपीलान्टगण 01 व 02 तथा उतरदातागण संख्या 2 से 4 को हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरते समय गवरी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान माना है। लेकिन हल्का पटवारी को गवरी की पुत्री फूमल के फौत की जानकारी नहीं होने से उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज नहीं करके फूमल व अन्य वारिसान के नाम नामान्तरकण संख्या 293 दिनांक 06.03.2024 को पारित ग्राम ग्राम पंचायत नेडीनाडी को वास्ते जांच हेतु भेजा गया लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये उक्त नामान्तकरण को मिच मैच बताकर दिनांक 20.03.2024 को खारिज कर दिया जबकि ग्राम पंचायत मिच मैच का कारण बताते हुए उक्त नामान्तकरण में रही त्रुटि को पुनः सुधारा जा सकता था।
4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभीमत है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर शिव नगर, पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना में खसरा नम्बर 564/448/2.4282 है0 के खेत में फौतगी का नामान्तरकरण में उतरदाता संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.03.2024 को खारिज नामान्तरकरण संख्या 293 की प्रक्रिया विधि विरूद्व होने से अपास्त कर तहसीलदार धोरीमन्ना को पुनः जांच व पुनः पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित व विधि संगत होगा। इस प्रकार उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 293 दिनांक 20.03.2024 जो ग्राम पंचायत नेडीनाडी द्वारा अपास्त/खारिज किया के विरूद्व अपील भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट के पैतृक की [illegible] नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के मौजा शिवनगर के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 564/448/2.4282 है0 में ग्राम पंचायत नेडीनाडी द्वारा खारिज नामान्तरकरण संख्या 293 दिनांक 20.03.2024 की प्रक्रिया को अपास्त किया जाता है तथा उक्त नामान्तरकरण को अपास्त करने के बाद पुनः दर्ज कर अपीलान्ट संख्या 01 से 02 व उतरदाता संख्या 02 से 04

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

मंगली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत नेडीनाडी
2024/238
निर्णय दिनांकः—16.05.2025

का इनकी माता गवरी की भूमि में हक हिस्सा दर्ज किया जाकर उतरदाता फूभी उर्फ फूमल के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करावें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

16/5/2025

(भागीरथराम आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक भू-अभिलेख
अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

SDO

(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:49 IST
Reason: SelfAttested